अधोसंरचना– निर्माण एवं संधारण

28 सितम्बर 2014

Participants

Sh RS Julaniya, PS WRD	Mrs Alka Upadhyay, CEO, RRDA
Sh Rajnish Vaish, PS, NVDA	Sh Ajit Kesari, PS, Co-operatives
Sh ICP Keshari, PS, Energy	Sh SN Mishra, PS Urban Dev.
Sh Pramod Agrawal, PS, PWD	Sh Vivek Agrawal, MP RDC
Sh Sanjay Shukla, Comm, Urban Dev.	Sh Nitesh Vyas, Comm. Housing
Mrs Kalpana Srivastava, Dir. WCD	Sh Pankaj Sharma, M.C., Morena
Sh Gulshan Bamra, Comm T&CP	Sh Rahul Jain, Collector Rewa
Sh S.N.Rupla, Collector, Jabalpur	Sh M.K.Agrawal, Collector, Khandwa
Sh. Manish Shrivastva, Comm Co-op. soc.	Sh. Ravindra Mishra, Collector, Panna
Sh M.G.Choubey, EnC, WRD	Sh Akhilesh Agrawal, EinC, PWD
Sh C.P. Agarwal, Sec. PWD	Sh Ajit Sonakiya, IFS

कार्यों के चयन / प्राथमिकता के मापदण्ड

- सभी कार्य विभाग परियोजनाओं के संबंध में वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तैयार करेंगे–
  - नई परियोजनाओं का चयन
  - वर्तमान परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण
  - निर्मित कार्यों का रख–रखाव
- उक्त संबंध में स्थाई आदेश विभागों व्दारा जारी किए जाएं
- समय–सीमा 31.12.2014

Project Preparation

- 50 लाख तक के कार्यो हेतु मानक डीपीआर तैयार किए जायें। (31.10.2014)
- विभागों द्वारा 50 लाख से ऊपर के कार्यो के लिए डीपीआर हेतु स्टेण्डर्ड फारमेट तैयार किया जाये। (31.10.2014)
- डीपीआर विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के आधार पर तैयार किये जायें।
- ईपीसी/टर्नकी परियोजनाओं हेतु फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का स्टेण्डर्ड फारमेट बनाया जाये।

Project Preparation

- डीपीआर में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होने चाहिएः–
  - प्राथमिकता/साध्यता मापदण्डों पर परियोजना की सार्थकता
  - सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का विवरण
  - विभिन्न घटकों/कार्यो का विश्लेषण और मात्रा
  - लागत की गणना का विवरण
  - ड्राईगं एवं डिजाइन
  - क्रियान्वयन हेतु माइल स्टोन एवं समयसीमा
- मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन वाले प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाए।

स्वीकृति की प्रक्रिया

- सभी विभाग स्वीकृति के मापदण्डों को अद्यतन करें।
- तकनीकी स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाए–
  - नये कार्यः कार्य. यंत्री– 1 करोड़, अधीक्षण यंत्री–5 करोड
  - मरम्मत एवं संधारण – मापदण्डों को अद्यतन कर अधिकारों का नियमन किया जाए।
- प्रशासकीय स्वीकृतियों के अधिकारों का प्रत्यायोजन
- वित्तीय संसाधन – प्रत्येक विभाग, कार्यों के पूर्ण होने की औसत अवधि के आधार पर, परियोजनाओं की कुल स्वीकृति (बैंक आफ सेंक्शन्स) की सीमा का निर्धारण करें।
- समयसीमा–31.12.2014

स्वीकृति की प्रक्रिया

- निर्मित अधोसंरचना का संधारण
  - निर्मित परियोजनाओं के संधारण को पहली प्राथमिकता दी जाए।
  - वित्तीय वर्ष 2015–16 में विशेष तौर पर एकमुश्त संधारण हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान किया जाए।
  - सभी विभाग संधारण हेतु वित्तीय मानक एवं अधिकारों के प्रत्यायोजन की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव करें।
- सभी विभागों द्वारा जिला/संभाग हेतु संबंधित अधोसंरचना का दृष्टिपत्र तैयार की जाए, जिसका संकलन कर संभागायुक्त अधोसंरचना दृष्टिपत्र तैयार करायें।

Pre-Procurement

- निविदाएं आमंत्रित करने के पूर्व वैधानिक स्वीकृतियां तथा भूमि की उपलब्धता हेतु अग्रिम तैयारी की जाये।
- एकसमान परियोजनाओं का समूह बनाकर निविदा जारी की जाए जिससे अनुबंधों की संख्या कम हो सके। (31.12.2014)
- निविदा स्वीकृति के अधिकारों के प्रत्यायोजन को बढ़ाया जाये। (समयसीमा–31.12.2014)

पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया

- ठेकेदारों के पंजीयन का सरलीकरण – आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में कमी की जाये।
- निविदा में प्री–क्वालीफिकेशन में सफल निविदाकारों के संबंधित श्रेणी में पंजीकरण के लिए पूर्व अनुभव की अनिवार्यता समाप्त की जाये।
- समयसीमा–31.10.2014

पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया– प्री–क्वालीफिकेशन

- सभी विभागों द्वारा प्री–क्वालीफिकेशन की शर्तो का उदारीकरण।
- निम्न श्रेणियों में प्री–क्वालीफिकेशन की शर्त नहीं रखी जाए।
  - 2 करोड़ तक के भवन निर्माण
  - 5 करोड़ तक के अन्य कार्य
  - उपरोक्त श्रेणियों में छूट केवल प्रमुख अभियंता द्वारा दी जाए।
- प्री–क्वालीफिकेशन जेनेरिक स्वरूप के हों यथा– सभी प्रकार के मिट्टी कार्य, सभी प्रकार के कांक्रीट कार्य, सभी प्रकार के भवन निर्माण।
- प्री–क्वालीफिकेशन में निविदा राशि के 20 प्रतिशत से कम मूल्य के कार्यो को न रखा जाए।
- प्री–क्वालीफिकेशन में तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए निविदाकार को एक सप्ताह का समय दिया जाए।

पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया

- प्रयोगी तौर पर बड़े ठेकों में 2 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जाए।
- सभी निर्माण कार्यो के लिए ई–टेण्डरिंग, ई–बिलिंग एवं ई–पैमेंट व्यवस्था लागू की जाए। अपवाद के लिए प्रमुख सचिव की पूर्वानुमति ली जाए।
- प्रत्येक विभाग ई–टेण्डरिंग में निविदा जारी करने के लिए और निविदाएं खोलने तथा निर्णय लेने के लिए माह की 2 या 3 तिथियां नियत करे।
- ई–टेण्डरिंग को सुलभ करने के लिए केन्द्रीकृत व्यवस्था पर विचार किया जावे।
- निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अधिकतम समयसीमा निर्धारित की जावे।

पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया

- रू. 1 करोड़ तक के कार्यो के लिए अनुबंध का छोटा एवं सहज प्रारूप बनाया जाए।
- अनुबंध अनिवार्यतः दो प्रतियों में किया जाए और हस्ताक्षर के समय ही एक प्रति ठेकेदार को दी जाए।
- कार्य आदेश की व्यवस्था समाप्त की जाए और अनुबंध में ही अनुबंध प्रमाण पत्र शामिल किया जाए।
- ईएमडी की राशि एल–वन को छोड़कर बिड खोलते ही लौटाई जाए।

अनुबंध का समयबद्ध क्रियान्वयन

- कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए समयबद्ध चरण तय किए जाए।
- ड्राईंग और डिजाइन समय पर जारी करने के लिए कार्यपालन यंत्री व्यक्तिशः जिम्मेदार हो।
- यदि ठेकेदार को ड्राईंग डिजाइन प्रस्तुत करना हो तो 15 दिवस के भीतर उसका परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जाए।
- बाहरी विशेषज्ञों से परीक्षण की दशा में अधिकतम सीमा 30 दिवस हो।

अनुबंध का समयबद्ध क्रियान्वयन

- सीसी जारी करने के लिए समय की पाबंदी।
  - भौतिक सीसी ठेकेदार के आवेदन के 15 दिन में।
  - वित्तीय सीसी भौतिक सीसी से 30 दिन के भीतर।
- बैंक गारण्टी और अमानत राशि समय पर मुक्त की जाये।
- पूर्ण कार्यो के ठेके बंद करने, सीसी जारी करने और अमानत राशि लौटाने के लिए अभियान चलाकर 31 दिसंबर 2014 तक सभी प्रकरणों का निराकरण किया जाए।

गुणवत्ता–जीरो टोलरेंस नीति

- कार्य तथा फिनिशिंग की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाये–
  - नियम निर्देशों में संशोधन
  - जिम्मेदार ईंजीनियर को कठोर दण्ड
  - ठेकेदार पर प्रभावी दण्ड एवं कार्यवाई।
- Quality Monitoring
  - ठेकेदार एवं विभाग की प्रयोगशाला व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
  - NABL मान्य प्रयोगशालाओं की व्यवस्था
  - बड़े ठेकों के लिए थर्ड पार्टी Quality Monitoring

गुणवत्ता–जीरो टोलरेंस नीति

- CTE निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता का औचक निरीक्षण करें। कार्योलयों, लेखों, स्टोर एवं पूर्ण कार्यो के निरीक्षण में समय एवं संसाधन न लगायें। पूर्ण कार्यो का निरीक्षण शासन के चाहे जाने पर ही किया जाए।
- आधुनिक तकनीक यथा–जीआईएस और आईटी का अधिकाधिक उपयोग किया जाये।
- अधिकारियों एवं ठेकेदारों की संयुक्त समीक्षा बैठकें प्रमुख सचिव/प्रमुख अभियंता/सीईओ/मुख्य अभियंता स्तर पर नियमित रूप से ली जाए।

भविष्य के लिए तैयारी–मानव संसाधन

- आगामी 3–4 वर्षो में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति के चलते वरिष्ठ पदों के लिए प्रत्येक विभाग कार्ययोजना बनाए।
- गुणवत्ता के लिए
  - प्रथम श्रेणी की सभी पदोन्नतियां मैरिट कम सीनियरटी पर हों।
  - मैरिट की न्यूनतम आर्हता बढ़ाई जाए।
  - इनसर्विस ट्रेनिंग–
    - एस.ई और वरिष्ठ पदों की पदोन्नति के लिए प्रति 2 वर्षो में 1 ट्रेनिंग की अनिवार्यता हो।
    - विशेषज्ञ संस्थाओं में प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए।
    - विषय विशेषज्ञ कार्यशाला/कांफ्रेंस में भागीदारी को प्रोत्साहन।
    - विशिष्ट कार्यो के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जायें।

भविष्य के लिए तैयारी–मानव संसाधन

- टेलेन्टेड इंजीनियर्स को सेवा में लेने के लिए एडिशनल ईई का पद सृजित कर सीधी भरती की जाए।
- सीधी भरती के अभियंताओं के प्रशिक्षण के लिए–
  - अकादमी/वाल्मी में तकनीकी प्रशिक्षण इकाई स्थापित की जाये और तब तक अंतरिम व्यवस्था की जाये।
  - परीविक्षाधीन अवधि के लिए प्रशिक्षण कैलेण्डर बनाया जाए जिसमें संस्थागत और मैदानी प्रशिक्षण शामिल हो।
- निर्माण एजेंसियों की क्षमता वृद्धि–
  - प्रतिवर्ष निर्माण एजेंसियों की कार्यशाला/कांफ्रेंस आयोजित की जाये।
  - प्रदेश के बाहर एक्सपोजर विजिट के लिए मार्गदर्शी भूमिका
  - अच्छा कार्य करने वाले ठेकेदारों को सम्मानित किया जाए।

Improved Performance-
Move towards leaner organisation

- .कार्य संस्कृति–
  - अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़े और निर्णय के स्तर घटे।
  - आधुनिक तकनीक और उन्नत प्रबंधन ।
- सभी स्तर पर संरचनाओं का कार्यभार के मान से युक्तियुक्तकरण।
- प्रत्येक कार्यालय के लिए स्वीकृत अमले का औचित्य के आधार पर पुर्ननिर्धारण।
- भावी आवश्यकता के मद्देनजर नई भरती और पुराने पदों का समर्पण।

Improved Performance

- स्थानातंरण नीति–
  - योग्यता आधारित पदस्थापना को प्रोत्साहन।
  - जहां एचओडी नियुक्तिकर्ता अधिकारी है वहां समस्त अधिकार केवल एचओडी को हों।
- अनुशासनात्मक कार्यवाई के अधिकार का प्रत्यायोजन–
  - ईई एवं समकक्ष के लिए एचओडी को अधिकार।
  - एई एवं समकक्ष के लिए मुख्य अभियंता को अधिकार।
- आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के पूर्व आपराधिक मनोदशा के संबंध में प्रमुख सचिव स्तर की समिति द्वारा परीक्षण अनिवार्य हो।

Improved Performance

- वर्क्स मैन्यूअल को अद्यतन किया जाए– 31.03.2015
- वैज्ञानिक पद्धति से प्रति 3 वर्ष में एसओआर अद्यतन किए जायें।
- जिन विभागों के एसओआर पिछले 2 वर्षों में अद्यतन नहीं किए गये हों उन्हें 31.03.2015 तक अद्यतन किया जाए।
- प्रत्येक विभाग संबंधित कानून/नियम/स्थाई निर्देश/तकनीकी दिशा–निर्देश को अद्यतन करें।

Improved Performance

- नई/उन्नत तकनीक और नई सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु–
  - ईएनसी/सीईओ पायलेट प्रोजेक्ट लेने के लिए अधिकृत हों।
  - पायलेट प्रोजेक्ट के लिए निविदा की अनिवार्यता शिथिल की जाए।
- संस्थागत ज्ञान के लिए –
  - बड़ी परियोजनाओं की डीपीआर, लेआउट, तकनीकी अवयवों का डिजिटाईजेशन किया जाए।
  - भविष्य के लिए उक्त अभिलेख डिजिटल रूप में बनाये जाए।
  - आपरेटिंग मैन्युअल बनाये जाए।
  - उत्तम/अच्छी प्रैक्टिस का डाक्यूमेंटेशन किया जाए।

अन्तर्विभागीय समन्वय–
डीपीआर से लेकर परियोजना पूर्णता तक

- सभी विभागों के जिला अधिकारियों की सोच सकारात्मक करने हेतु–
  - राजनैतिक एवं प्रशासनिक स्तर से उचित संदेश हो।
  - विकास कार्यो को रोकने के पूर्व अंर्तविभागीय मुद्दे कलेक्टर के ध्यान में लाकर निराकरण कराया जाये।
  - कलेक्टर के समन्वय को प्रभावी बनाया जाये।
- जिला एवं विभाग स्तर पर जो मुद्दे तत्काल नहीं निपटें उन्हें प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित परियोजना क्रियान्वयन समिति के समक्ष लाया जाये।

अन्तर्विभागीय समन्वय

- नगरीय क्षेत्रों में अनेकता में एकता के लिए –
  - मुख्यालय के संभागायुक्त/कलेक्टर यह तय करें कि कौन सी एजेंसी कौनसा कार्य करेगी और कार्यों का प्राथमिकता क्रम क्या होगा।
  - नियम एवं उपनियमों में उक्त हेतु संशोधन किया जाए।
- मेगा प्रोजेक्ट (मैट्रो एवं नदी पुर्नजीवन) के लिए राज्य स्तर पर एसपीव्ही बनाया जाये।
- बड़ी परियोजनाओं के ठेके एवं तकनीकी अवरोधों को दूर करने के लिए अतंर्विभागीय हाई पावर कमेटी बनाई जाये जो सामुहिक निर्णय ले।

User Charges

- प्रत्येक विभाग यूजर चार्जेस का 31.03.2015 तक पुनरीक्षण कराये।
- भविष्य के लिए यूजर चार्जेस थोक मूल्य सूचकांक से संबद्ध हो ताकि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को स्वतः पुनरीक्षण हो सके।
- बकाया वसूली–
  - 31.03.2015 तक मूल राशि जमा कराने पर सरचार्ज/दण्ड पर एक बार माफी पर विचार किया जाये।
  - उसके पश्चात् दण्ड सरचार्ज सहित सख्ती से वसूली की जाए।
  - वसूली के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाए।

जय हिंद